न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/221 (221/2021) 225 आरटीएक्ट

1. श्री गुरूद्वारा साहिब भगतपुरा जरिये अध्यक्ष परमजीत सिह पुत्र करनैल सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. हरीराम
2. काशीराम
3. रामजस
4. औमप्रकाश
5. जयमल सिह

} रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

6. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश 22.11.2021 सं0 21/2021
अनवान हरीराम वगैरा बनाम श्री गुरूद्वारा साहब भगतपुरा
द्वारा सहायक कलक्टर, संगरिया

उपस्थितः–
श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6

निर्णय दिनांकः– 22.8.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि में आवागमन अप्रार्थी सं0 1 क नाम दर्ज कृषि भूमि चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं0 188/16 जमाबंदी संवत 2072–75 में प. नं. 182/148 मु. नं 11 किला नं. 19, 22/0.013 है0 प्र0 (एक–एक–बिस्वा) किलो की पश्चिम दिशा में दक्षिण से उतर की और प्रत्येक

Lan
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किला में 165 फुट लम्बा व 8–1/4 फुट चोड़ा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया । विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील पेश होने पर उभयपक्ष ने गुरूद्वारा सिंघपुरा भगतपुरा के साथ हुए सहमती रास्ते वास्ते पत्र की फोटा प्रति पेश की और कथन किया किया कि पक्षकारों के मध्य आपस राजीनामा हो गया है एवं इस सहमति पत्र के अनुसार अपील का निस्तारण किया जावे एवं चक 15 बीजीपी प. नं. 182/148 मु0 नं0 11 का किला नं. 22 व 19 में प्रत्येक में 12–12 फुट कुल 24 फुट पश्चिमी सींव पर दक्षिण से उत्तर की तरफ रास्ता स्वीकृत किया जावे है एवं अपीलाण्ट को इस रास्ते की भूमि के बदले में इसी चक व पत्थर नं. के किला नं0 12 में पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ 48 फुट भूमि रेस्पोडेण्ट की भूमि में से दिये जाने के आदेश दिये जावें। चूंकि भूमि के बदले में भूमि दी जा रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को डीएलसी की दुगनी राशि का भुगतान संबंधि आदेश निरस्त किया जाता है। इसी अनुसार अपील का निस्तारण किया जावे।

3. उभयपक्ष को सुना गया, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी संवत 2072–75 में प. नं. 182/148 मु. नं. 11 के किला नं. 19 व 22 /0.013 है0 प्र0 में पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उत्तर की 165X 8–1/4 रास्ता स्वीकृत किया है। चूंकि पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा/सहमति हो चुकी है। इस सहमति के अनुसार चक 15 बीजीपी मु0 नं0 11 का किला नं. 22 व 19 में प्रत्यक में 12–12 फुट कुल रास्ता 24 फुट रास्ता देने में सहमति है एवं 48 फुट भूमि प्राप्त कर रहा है। अतः अपील अपीलांट मुताबिक आपसी सहमति के आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय 22.11.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए चक 15 बीजीपी प. नं. 182/148 मु0 नं0 11 का किला नं. 22 व 19 में प्रत्येक में 12–12 फुट कुल 24 फुट पश्चिमी सींव पर दक्षिण से उत्तर की तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं अपीलाण्ट को इस रास्ते की भूमि के बदले में इसी चक व पत्थर नं. के किला नं0 12 में पूर्वी तरफ दक्षिण से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उत्तर की तरफ 48 X165 फुट भूमि रेस्पोडेण्ट की भूमि में से दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 48 X165 फुट भूमि की रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के पक्ष में दानपत्र अथवा बैयनामा करवाये। तत्पश्चात् ही तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अमलदरामद करे। चूंकि भूमि के बदले में भूमि दी जा रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को डीएलसी की दुगनी राशि का भुगतान संबंधि आदेश निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/8/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22/8/21

(करतार सिह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)